

Email
मात्र

समाहरणालय, जहानाबाद
(जिला स्थापना शाखा)

फोन नं० :- 06114-223001, 223004
फैक्स नं० :- 06114-223142
ई-मेल :- dm-jehanabad.bih@nic.in

आदेश

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए कार्यपालक सहायक का मेधा सूची तैयार की गई है। श्री दीनानाथ चौधरी, कार्यपालक सहायक, बिहार भवन कोषांग, प्रतिनियुक्त अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच के द्वारा त्यागपत्र के कारण अपर समाहर्ता, जहानाबाद के पत्रांक 304/वि०जाँच दिनांक 02.12.2013 से अन्य कार्यपालक सहायक की मांग की गई है।

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मेधा सूची के अनुसार निम्न अभ्यर्थी को संविदा के आधार पर प्रतिमाह 9000/- (नौ हजार) रुपये की दर पर निम्न शर्तों के अधीन नियोजित किया जाता है।

साथ ही इनका पदस्थापन अस्थायी रूप से नाम के सामने अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	पैनल क्र०	आरक्षण कोटि	आवेदक का नाम	पिता का नाम व पता	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
01	63	अनु० जाति	श्री अखिलेश कुमार	श्री हरिनंदन पासवान, ग्राम- बंसी विगहा, पो०- बेलागंज, जिला-गया	04-09-1993	बिहार भवन कोषांग, जहानाबाद प्रतिनियुक्त अपर समाहर्ता विभागीय जाँच	

उपरोक्त अभ्यर्थी के नियोजन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है :-

- शर्त:-1. कार्यपालक सहायक के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ निम्न कम्प्यूटर/हार्डवेयर लाने होंगे।
(क) एक डेस्कटॉप (ख) एक प्रिंटर ब्लैक एण्ड व्हाइट (ग) एक यु०पी०एस० (घ) इंटरनेट कनेक्शन
- संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि एक वर्ष के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जायेगी।
 - चयनित अभ्यर्थी के मानदेय का भुगतान उपस्थिति के आधार पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना से प्राप्त आवंटन के आलोक में बैंक खाता के माध्यम से किया जायेगा।
 - नियोजित कार्यपालक सहायक अपने संबंधित पदाधिकारी/अधोहस्ताक्षरी द्वारा सौंपे गये कार्यों एवं निदेशों का ससमय अच्छे ढंग से निष्पादन/अनुपालन करेंगे। कार्यों में लापरवाही, संपादित कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर इन्हे नियोजन से हटाने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
 - संविदा पर नियोजित अभ्यर्थियों का सरकारी सेवा में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
 - चयनित अभ्यर्थियों को योगदान करने हेतु कोई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी दिनांक- 30.12.2013 तक निश्चित रूप से योगदान देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनका नियोजन स्वतः रद्द हो जायेगा।

जिला पदाधिकारी
जहानाबाद।

- ज्ञापक सं० सं०-XV-18-11-1739/स्था०, दिनांक 23.12.2013
- प्रतिलिपि: अपर निदेशक, बिहार, प्रशासनिक मिशन सोसाईटी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- श्री कृष्ण कुमार साहनी, आई०टी० मैनेजर, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित आवेदकों को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाय।
प्रतिलिपि :- सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- एक प्रति रक्षी संचिका में।

जिला पदाधिकारी
जहानाबाद।